



2026:AHC:165228

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26237 वर्ष 2026

रमेश

केशरी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर

प्रदेश

राज्य

और

अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अरुण कुमार मौर्य, सुरेश

कुमार मौर्य

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या- 70**

**माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन निचली अदालत में चल रहे मुकदमे मुकदमा अपराध संख्या 57 सन् 2026, धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., थाना- कोतवाली सिटी, जिला- मिर्जापुर के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त मकसद से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का उस पर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को नहीं किया है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है। उसका नाम अन्वेषण के दौरान सह-अभियुक्त पवन कुमार विश्वकर्मा के संस्वीकृति बयान से सामने आया है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कई मामलों में झूठा फंसाया है। अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूरी करने के बाद आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। उसे फंसाना केवल संदेह और अनुमान पर आधारित है, बिना किसी स्वतंत्र, विश्वसनीय या ठोस सबूत के जो कथित अपराध में उसकी संलिप्तता को साबित करता हो। इस पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26964 सन् 2026, 26002 सन् 2026 और 25417 सन् 2026 और 2026 सन् 24951 में दिनांक 04.08.2026, 04.08.2026, 24.07.2026 और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22.07.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 48 सन् 2026, 51 सन् 2026, 57 सन् 2026 और 59 सन् 2026 में जमानत प्रदान की है। मामलों के संबंध में उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 07.04.2026 से जेल में बंद है। यह भी बताया गया कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता के कारण मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

4. जमानत की अर्जी का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक रमेश केशरी को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत बंधपत्र भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।

(iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

8. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

**5 अगस्त, 2026**

वी.के. उपाध्याय

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।